अनुदान संख्या 58 - विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग
GRANT No. 58 – DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted–				
मूल	Original	70559,75,00	70559,80,00	65868,40,39	-4691,39,61
पूरक	Supplementary	5,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				4666,76,69

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2202"	Major Head "2202"				
सामान्य शिक्षा	General Education				
मू.	O.	5374533.00			
पू.	S.	3.00	5358612.51	5356114.91	-2497.60
पु.	R.	-15923.49			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	455474.00			
पू.	S.	2.00	1.86	..	-1.86
पु.	R.	-455474.14			
मुख्य शीर्ष "3475"	Major Head "3475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services				
मू.	O.	10875.00	8775.00	8775.00	..
पु.	R.	-2100.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	1198034.00	1211122.68	1211119.51	-3.17
पु.	R.	13088.68			
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	16494.00	10354.21	10354.21	..
पु.	R.	-6139.79			

(I) ₹460249.00 लाख का प्रावधान (दिसंबर, 2012 और मार्च, 2013 से प्राप्त किए गए ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय) इक्यासी शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹459468.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2202"-

(क) "प्रारंभिक शिक्षा- विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम- खाद्यानों की लागत"- ₹2409.00 लाख भारतीय खाद्य निगम और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों से प्रतिपूर्ति संबंधी प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(ख) "माध्यमिक शिक्षा"-

(i) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना- शिक्षा का व्यवसायीकरण- स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान"- ₹110.00 लाख व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(I) Provision of ₹460249.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs obtained in December, 2012 and March, 2013) remained wholly unutilised under eighty one heads; of these ₹459468.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2202"-

(a) "Elementary Education - National Programme of Mid-Day Meals in Schools – Cost of Food Grains"- ₹2409.00 lakhs – due to non-receipt of proposals for reimbursement from Food Corporation of India and other implementing agencies.

(b) "Secondary Education" –

(i) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Vocationalisation of Education- Grants to Voluntary Organisations"- ₹110.00 lakhs – due to non-receipt of viable proposals.

(ii) "अन्य व्यय"-

(1) "मूल्यांकन और अध्ययन प्रशिक्षु अधिनियम - शिक्षक प्रशिक्षण व्यवसायिक विद्यालय" - ₹280.00 लाख; और

(2) "माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए बालिका हास्टल के निर्माण और संचालन संबंधी स्कीम"- ₹446.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(3) "विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी- बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान"- ₹208.00 लाख बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552"-

(क) "माध्यमिक शिक्षा- अनुसंधान और प्रशिक्षण- विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी"- ₹2500.00 लाख;

(ख) "माध्यमिक शिक्षा- गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता"-

(i) "केन्द्रीय विद्यालय संगठन"- ₹2485.00 लाख;

(ii) "नवोदय विद्यालय समिति"- ₹8895.00 लाख;

(ii) "Other Expenditure"-

(1) "Evaluation and Studies Apprentices Act - Teacher Training Vocational Schools"- ₹280.00 lakhs; and

(2) "Scheme for Construction and Running of Girls Hostels for Students of Secondary and Higher Secondary Schools"- ₹446.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-receipt of viable proposals.

(3) "Information and Communication Technology in Schools – Grants to Union Territories without Legislature"- ₹208.00 lakhs - due to non-receipt of viable proposals from Union Territories without Legislature.

(B) Major Head "2552" -

(a) "Secondary Education - Research and Training - Information and Communication Technologies in Schools" - ₹2500.00 lakhs;

(b) "Secondary Education – Assistance to Non-Government Secondary Schools" -

(i) "Kendriya Vidyalaya Sangathan" – ₹2485.00 lakhs;

(ii) "Navodaya Vidyalayas Samiti" – ₹8895.00 lakhs;

(iii) "राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान"- ₹25659.20 लाख (₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(iv) "उत्कृष्टता के मापदंड के रूप में ब्लाक स्तर पर 6000 आदर्श विद्यालय स्थापित करने संबंधी स्कीम"- ₹7497.00 लाख;

(ग) "माध्यमिक शिक्षा- अन्य व्यय"-

(i) "नि:शक्त बच्चों के लिए माध्यमिक विद्यालय में समावेशी शिक्षा"- ₹500.00 लाख;

(ii) "माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के बालिका हास्टल के निर्माण और संचालन संबंधी स्कीम"- ₹3120.15 लाख (₹0.15 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(घ) "माध्यमिक शिक्षा- अन्य अनुदान- शिक्षा का व्यवसायीकरण"- ₹600.15 लाख (₹0.15 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ङ) "माध्यमिक शिक्षा- छात्रवृत्ति- राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम"- ₹150.00 लाख;

(च) "प्रारंभिक शिक्षा- शिक्षक प्रशिक्षण- शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण"- ₹3464.00 लाख;

(छ) "प्रौढ़ शिक्षा- अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम"-

(i) "प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास स्कीम"- ₹4130.00 लाख;

(iii) "Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA)"- ₹25659.20 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.20 lakh);

(iv) "Scheme for Setting up of 6000 Model Schools at Block Level as Bench Mark of Excellence"- ₹7497.00 lakhs;

(c) "Secondary Education –Other Expenditure"–

(i) "Inclusive Education for the Disabled at Secondary School (IEDSS)" - ₹500.00 lakhs;

(ii) "Scheme for Construction and Running of Girls Hostels for students of Secondary and Higher Secondary Schools"- ₹3120.15 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.15 lakh);

(d) "Secondary Education – Other Grants – Vocationalisation of Education"- ₹600.15 lakhs (including token supplementary grant of ₹.0.15 lakh);

(e) "Secondary Education – Scholarships - National Means cum Merit Scholarship Scheme"- ₹150.00 lakhs;

(f) "Elementary Education – Teachers Training- Strengthening of Teachers Training Institutions" – ₹3464.00 lakhs;

(g) "Adult Education – Other Adult Education Programme" –

(i) "Adult Education and Skill Development Scheme"- ₹4130.00 lakhs;

(ii) "प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास स्कीम के लिए गैर-सरकारी संगठनों/संस्थाओं/एसआरसी को सहायता"- ₹735.00 लाख;

(ज) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना"-

(i) "माध्यमिक शिक्षा- अनुसंधान और प्रशिक्षण"- ₹401.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ii) "माध्यमिक शिक्षा- गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता"- ₹5445.15 लाख (₹0.15 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(iii) "माध्यमिक शिक्षा- अन्य व्यय"- ₹1505.00 लाख;

(iv) "माध्यमिक शिक्षा- छात्रवृत्ति"- ₹201.00 लाख;

(v) "प्रारंभिक शिक्षा- शिक्षक प्रशिक्षण"- ₹654.00 लाख;

(vi) "प्रारंभिक शिक्षा- अन्य व्यय"- ₹34275.52 लाख;

(vii) "प्रौढ़ शिक्षा- अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम"- ₹695.00 लाख;

(झ) "जनजाति क्षेत्र उप योजना"-

(i) "माध्यमिक शिक्षा- अनुसंधान और विकास"- ₹725.00 लाख;

(ii) "माध्यमिक शिक्षा- गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता"- ₹8129.00 लाख;

(ii) "Support to NGOs/Institutions/SRCs for Adult Education and Skill Development Scheme"- ₹735.00 lakhs;

(h) "Special Component Plan for Scheduled Castes"-

(i) "Secondary Education-Research and Training"- ₹401.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh);

(ii) "Secondary Education-Assistance to Non-Government Secondary Schools"- ₹5445.15 lakhs (including token supplementary grant of ₹.0.15 lakhs);

(iii) "Secondary Education- Other expenditure"- ₹1505.00 lakhs;

(iv) "Secondary Education – Scholarships"- ₹201.00 lakhs;

(v) "Elementary Education- Teachers Training"- ₹654.00 lakhs;

(vi) "Elementary Education- Other Expenditure"- ₹34275.52 lakhs;

(vii) "Adult Education - Other Adult Education Programme" - ₹695.00 lakhs;

(i) "Tribal Area Sub-Plan"-

(i) "Secondary Education - Research and Training"- ₹725.00 lakhs;

(ii) "Secondary Education - Assistance to Non-Government Secondary Schools"- ₹8129.00 lakhs;

(iii) "माध्यमिक शिक्षा- बालिकाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा के लिए अन्य राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना"- ₹1185.15 लाख (₹0.15 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(iv) "माध्यमिक शिक्षा- अन्य व्यय"- ₹200.20 लाख (₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(v) "माध्यमिक शिक्षा-छात्रवृत्ति"- ₹349.00 लाख;

(vi) "प्रारंभिक शिक्षा- शिक्षक प्रशिक्षण"- ₹882.00 लाख;

(vii) "प्रारंभिक शिक्षा- अन्य व्यय"- ₹88353.80 लाख;

(viii) "प्रौढ़ शिक्षा- अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम"- ₹1390.00 लाख;

(ञ) "प्रारंभिक शिक्षा- अन्य व्यय"-

(i) "विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याहन भोजन कार्यक्रम"- ₹89957.00 लाख;

(ii) "सर्व शिक्षा अभियान"- ₹158719.68 लाख;

(iii) "मदरसों में गुणता शिक्षा उपलब्ध कराने संबंधी स्कीम"- ₹1750.00 लाख; और

(iv) "अल्पसंख्यक संस्थाओं में अवसरंचना विकास स्कीम"- ₹500.00 लाख;

(iii) "Secondary Education - Other National Scheme for Incentive to the Girl Child for Secondary Education (SUCCESS)"- ₹1185.15 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.15 lakh);

(iv) "Secondary Education – Other Expenditure" - ₹200.20 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.20 lakh);

(v) "Secondary Education – Scholarships"- ₹349.00 lakhs

(vi) "Elementary Education- Teachers Training"- ₹882.00 lakhs;

(vii) "Elementary Education- Other Expenditure"- ₹88353.80 lakhs;

(viii) "Adult Education- Other Adult Education Programme"- ₹1390.00 lakhs;

(j) "Elementary Education – Other Expenditure"-

(i) "National Programme of Mid Day Meals in Schools" – ₹89957.00 lakhs;

(ii) "Sarva Shiksha Abhiyan" – ₹158719.68 lakhs;

(iii) "The scheme for Providing Quality Education in Madrassas (SPQEM)" – ₹1750.00 lakhs; and

(iv) "The scheme for Infrastructure Development in Minority Institutions (IDMI)"- ₹500.00 lakhs.

प्रावधान उपर्युक्त इकतीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(v) "राष्ट्रीय बाल भवन/राष्ट्रीय बाल संग्रहालय बाल भवन सोसाइटी"- ₹140.00 लाख पूर्वोत्तर राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(गा) मुख्य शीर्ष "3602"- "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान"-

(क) "प्रारंभिक शिक्षा- अन्य अनुदान- मदरसों में गुणता शिक्षा उपलब्ध कराने संबंधी स्कीम"- ₹350.00 लाख;

(ख) "उपस्कर- माध्यमिक शिक्षा- विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी "- ₹346.00 लाख; और

(ग) "माध्यमिक शिक्षा- अन्य अनुदान- शिक्षा का व्यवसायीकरण"- ₹126.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2202" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "प्रारंभिक शिक्षा"-

(क) "शिक्षण प्रशिक्षण- शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण"- ₹301.45 लाख की बचत (₹400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम का पुनरीक्षण विलंब से होने और किफायती उपाय किए

Provisions under the above thirty one heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(v) "National Bal Bhawan/National Children's Museum Bal Bhawan Society"- ₹140.00 lakhs – due to non-receipt of proposals from North Eastern States.

(C) Major Head "3602" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes"-

(a) "Elementary Education – Other Grants – The Scheme for Providing Quality Education in Madrassas (SPQEM)"- ₹350.00 lakhs;

(b) "Equipment – Secondary Education - Information and Communication Technologies in Schools" - ₹346.00 lakhs; and

(c) "Secondary Education – Other Grants – Vocationalisation of Education"- ₹126.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilized due to non-receipt of proposals from Union Territory Administrations.

(II) Under Major Head "2202" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Elementary Education"-

(a) "Teachers Training – Strengthening of Teachers Training Institutions" - saving of ₹301.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400.00 lakhs) was due to

जाने के कारण हुई।

delay in revision of the scheme and economy measures.

(ख) "सर्व शिक्षा अभियान- स्थापना और संबंधित व्यय"- ₹2300.07 लाख की बचत (₹3455.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विज्ञापन और प्रचार के लिए कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(b) "Sarva Shiksha Abhiyan - Establishment and Related Expenditure" – saving of ₹2300.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3455.00 lakhs) was due to receipt of less number of proposals towards advertising and publicity and economy measures.

(ग) "विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन स्कीम"-

(c) "National Programme of Mid Day Meals in Schools"-

(i) "बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता"- ₹2042.33 लाख की बचत (₹2356.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्ताव कम प्राप्त होने और बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिपूर्ति के दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(i) "Assistance to Union Territories without Legislature" – saving of ₹2042.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2356.00 lakhs) was due to receipt of less number of proposals and non-receipt of claims for reimbursement from the Union Territories without legislature.

(ii) "राष्ट्रीय संघटक"- ₹976.91 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) यात्रा व्यय, विज्ञापन और प्रचार संबंधी प्रस्ताव कम संख्या में प्राप्त होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ii) "National Component" – saving of ₹976.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to receipt of less number of proposals towards travel expenses, advertising and publicity and economy measures.

(घ) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना"-

(d) "Special Component Plan for Scheduled Castes"-

(i) "सर्वशिक्षा अभियान"- ₹15786.48 लाख की बचत (₹493464.48 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों की कार्यान्वयन एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्ताव कम संख्या में प्राप्त होने के कारण हुई।

(i) "Sarva Shiksha Abhiyan" – saving of ₹15786.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹493464.48 lakhs) was due to receipt of less number of viable proposals from implementing agencies of State Governments.

(ii) "विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम"- ₹672.69 लाख की बचत (₹737.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिपूर्ति के दावे कम प्राप्त होने के कारण हुई।

(iii) "राष्ट्रीय बाल भवन, राष्ट्रीय बाल संग्रहालय बाल भवन सोसाइटी"- ₹218.27 लाख की बचत (₹280.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय बाल भवन से व्यवहार्य प्रस्ताव कम प्राप्त होने के कारण हुई।

(ङ) "अन्य व्यय - राष्ट्रीय बाल भवन, राष्ट्रीय बाल संग्रहालय बाल भवन सोसाइटी" - ₹628.33 लाख की बचत (₹1544.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(च) "जनजाति क्षेत्र उप योजना"-

(i) "राष्ट्रीय बाल भवन, राष्ट्रीय बाल संग्रहालय, बाल भवन सोसाइटी"- ₹129.13 लाख की बचत (₹150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल भवन से व्यवहार्य प्रस्ताव कम संख्या में प्राप्त होने के कारण हुई।

(ii) "विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन स्कीम"- ₹305.15 लाख की बचत (₹381.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्ताव कम संख्या में प्राप्त होने और बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों में प्रतिपूर्ति के दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(छ) "आरक्षित निधि/जमा लेखे को अंतरण- प्रारंभिक शिक्षा कोष को अंतरण के लिए निधियां"-

(ii) "National Programme of Mid Day Meals in Schools" - saving of ₹672.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹737.00 lakhs) was due to non-receipt of claims for reimbursement from Union Territories without legislature.

(iii) "National Bal Bhawan, National Children's Museum Bal Bhawan Society"- saving of ₹218.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹280.00 lakhs);

(e) "Other Expenditure – National Bal Bhawan, National Children's Musem Bal Bhawan Society"- saving of ₹628.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1544.00 lakhs); and

(f) "Tribal Area Sub-Plan"-

(i) "National Bal Bhawan, National Children's Museum Bal Bhawan Society"- saving of ₹129.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹150.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to less receipt of viable proposals from National Bal Bhawan.

(ii) "National Programme of Mid Day Meals in Schools" – saving of ₹305.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹381.00 lakhs) was due to receipt of less number of proposals and non-receipt of claims for reimbursement from Union Territories without legislature.

(g) "Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Funds for Transfer to Prarambhik Shiksha

₹100266.00 लाख की बचत (₹2167000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) शिक्षा उपकर का कम संग्रहण किए जाने के कारण हुई।

(खा) "माध्यमिक शिक्षा"-

(क) "अनुसंधान और प्रशिक्षण- राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद"- ₹3918.00 लाख की बचत (₹22284.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एनसीईआरटी से व्यवहार्य प्रस्ताव कम संख्या में प्राप्त होने और पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(ख) "गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता"-

(i) "तिब्बती शरणार्थी (तिब्बती विद्यालय सोसाइटी) बच्चों को शैक्षणिक सुविधाएं"- ₹140.00 लाख की बचत (₹4900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ii) "उत्कृष्टता के मानक के रूप में ब्लाक स्तर पर 6000 आदर्श विद्यालयों की स्थापना किए जाने संबंधी स्कीम"- ₹19558.75 लाख की बचत (₹67115.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(iii) "उत्कृष्टता के मानक के रूप में ब्लाक स्तर पर 6000 आदर्श विद्यालयों की स्थापना किए जाने संबंधी स्कीम - प्रशासन और संबंधित व्यय"- ₹200.40 लाख की बचत (₹230.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ग) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना"-

(i) "उत्कृष्टता के मानक के रूप में ब्लाक स्तर पर 6000 आदर्श विद्यालयों की स्थापना किए जाने संबंधी स्कीम"- ₹3304.00 लाख की बचत

Kosh"- saving of ₹100266.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2167000.00 lakhs) was due to less collection of education cess.

(B) "Secondary Education" -

(a) "Research and Training – National Council of Educational Research and Training" - saving of ₹3918.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22284.00 lakhs) was due to receipt of less number of viable proposals from NCERT and availability of unspent balance of previous year.

(b) "Assistance to Non-Government Secondary Schools"-

(i) "Educational Facilities to Tibetan Refugee Children (Tibetan School Society)" - saving of ₹140.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4900.00 lakhs);

(ii) "Scheme for Setting up of 6000 Model Schools at Block Level as Bench Mark of Excellence"- saving of ₹19558.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹67115.00 lakhs);

(iii) "Scheme for Setting up of 6000 Model Schools at Block Level as Bench Mark of Excellence – Establishment and related Expenditure"- saving of ₹200.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹230.00 lakhs);

(c) "Special Component Plan for Scheduled Castes"-

(i) "Scheme for Setting up of 6000 Model Schools at Block Level as Bench Mark of Excellence"- saving of ₹3304.00

(₹19440.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ii) "विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी - ई-विषय सूची के विकास के लिए अनुदान"- ₹375.26 लाख की बचत (₹400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घ) "जनजाति क्षेत्र उप योजना"-

(i) "उत्कृष्टता के मानक के रूप में ब्लाक स्तर पर 6000 आदर्श विद्यालयों की स्थापना किए जाने संबंधी स्कीम"- ₹2388.00 लाख की बचत (₹10413.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त छः शीर्षों के अंतर्गत राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों से प्रस्ताव कम संख्या में प्राप्त होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुईं।

(ii) "विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी - ई-विषय सूची विकास के लिए अनुदान"- ₹206.19 लाख की बचत (₹214.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ङ) "अन्य व्यय"-

(i) "शिक्षा का व्यवसायीकरण"- ₹588.64 लाख की बचत (₹630.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित स्कीम के अंतर्गत व्यवहार्य प्रस्ताव कम संख्या में प्राप्त होने के कारण हुई।

(ii) "विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी - ई-विषय सूची के विकास के लिए अनुदान"- ₹1320.50 लाख के बचत (₹1451.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पुरस्कार संबंधी

lakhs (against the sanctioned provision of ₹19440.00 lakhs);

(ii) "Information and Communication Technology in Schools – Grants for development of e-content"- saving of ₹375.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400.00 lakhs); and

(d) "Tribal Area Sub-Plan"-

(i) "Scheme for Setting up of 6000 Model Schools at Block Level as Bench Mark of Excellence"- saving of ₹2388.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10413.00 lakhs).

Savings under the above six heads were due to receipt of less number of proposals from the State Government/implementing agencies and economy measures.

(ii) "Information and Communication Technology in Schools – Grants for development of e-content"- saving of ₹206.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹214.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals.

(e) "Other Expenditure"-

(i) "Vocationalisation of Education"- saving of ₹588.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹630.00 lakhs) was due to receipt of less number of viable proposals under revised scheme.

(ii) "Information and Communication Technology in Schools – Grants for development of e-content"- saving of ₹1320.50 lakhs (against the sanctioned

कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

provision of ₹1451.00 lakhs) was due to receipt of less proposals towards awards.

(गा) "प्रौढ़ शिक्षा"-

(C) "Adult Education" –

(क) "निदेशन और प्रशासन- प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय"- ₹335.49 लाख की बचत (₹824.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पुरस्कार बैठकों/संगोष्ठियों, विज्ञापन और प्रचार संबंधी कम प्रस्ताव प्राप्त होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(a) "Direction and Administration – Directorate of Adult Education" - saving of ₹335.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹824.00 lakhs) was due to receipt of less proposals towards awards meetings/seminars, advertising and publicity and economy measures.

(ख) "अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम"-

(b) "Other Adult Education Programmes" –

(i) "प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रम"- ₹10315.09 लाख की बचत (₹36696.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों की कार्यान्वयन एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्ताव कम संख्या में प्राप्त हाने के कारण हुई।

(i) "Adult Education and Skill Development Scheme" - saving of ₹10315.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹36696.00 lakhs) was due to receipt of less number of viable proposals from implementing agencies of the State Governments.

(ii) "प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास स्कीम के लिए गैर सरकारी संगठनों/संस्थाओं/एसआरसी को सहायता"- ₹1064.24 लाख की बचत (₹6541.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(ii) "Support to NGOs/Institutions/SRCs for Adult Education and Skill Development Scheme"- saving of ₹1064.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6541.00 lakhs);

(ग) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना"-

(c) "Special Component Plan for Scheduled Castes"-

(i) "प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास स्कीम"- ₹3150.82 लाख की बचत (₹11250.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(i) "Adult Education and Skill Development Scheme"- saving of ₹3150.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11250.00 lakhs);

(ii) "प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास स्कीम के लिए गैर सरकारी संगठनों/संस्थाओं/एसआरसी को सहायता"- ₹388.63 लाख की बचत

(ii) "Support to NGOs/Institutions/SRCs for Adult Education & Skill Development Scheme"- saving of

(₹1995.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(घ) "जनजाति क्षेत्र उप योजना"-

(i) "प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास स्कीम"- ₹1349.75 लाख की बचत (₹5154.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई, और

(ii) "प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास स्कीम के लिए गैर सरकारी संगठनों/संस्थाओं/एसआरसी को सहायता"- ₹114.64 लाख की बचत (₹914.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्ताव कम संख्या में प्राप्त होने के कारण हुईं।

(ङ) "अन्य व्यय- संगोष्ठी समितियों, बैठक आदि/गैर सरकारी सदस्यों को टीए/डीए पर व्यय"- ₹168.16 लाख की बचत (₹187.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विज्ञापन और प्रचार संबंधी प्रस्ताव प्राप्त न होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(घा) "सामान्य- अन्य व्यय- राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार"- ₹154.40 लाख की बचत (₹280.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) शिक्षकों के भोजन और आवास प्रभारों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और राज्य सरकारों से पुरस्कारों के लिए कम सिफारिशें प्राप्त होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "3475"- "आरक्षित निधि/जमा लेखे को अंतरण- राष्ट्रीय निवेश निधि के आय और व्यय लेखे को अंतरण"- ₹2100.00 लाख की बचत (₹10875.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मध्याह्न भोजन स्कीम के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

₹388.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1995.00 lakhs);

(d) "Tribal Area Sub-Plan"-

(i) "Adult Education and Skill Development Scheme"- saving of ₹1349.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5154.00 lakhs); and

(ii) "Support to NGOs/Institutions/SRCs for Adult Education and Skill Development Scheme"- saving of ₹114.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹914.00 lakhs).

Savings under the above five heads were due to receipt of less number of viable proposals from implementing agencies.

(e) "Other Expenditure – Expenditure on Seminars Committees, Meeting etc/TA/DA to Non-Official Members" - saving of ₹168.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹187.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals towards advertising and publicity and economy measures.

(D) "General – Other Expenditure – National Award to Teachers"- saving of ₹154.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹280.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards boarding and lodging charges of teachers and receipt of less recommendations from State Governments for awards.

(III) Under Major Head "3475" – "Transfer to Reserve Fund/ Deposit Account – Transfer to Income and Expenditure Account of National Investment Fund" – saving of ₹2100.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10875.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards Mid-Day Meal Scheme.

(IV) मुख्य शीर्ष "3601"- "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "प्रारंभिक शिक्षा- अन्य अनुदान- अल्पसंख्यक संस्थाओं में अवसरंचना विकास संबंधी स्कीम"- ₹1660.00 लाख की बचत (₹4498.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) "माध्यमिक शिक्षा- अन्य अनुदान"-

(क) "माध्यमिक विद्यालयों में नि:शक्त बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा"- ₹2307.02 लाख की बचत (₹4173.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) "माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए बालिका हास्टल के निर्माण और संचालन संबंधी स्कीम"- ₹4245.42 लाख की बचत (₹27674.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(गा) "प्रारंभिक शिक्षा- शिक्षक प्रशिक्षण- शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण"- ₹5859.01 लाख की बचत (₹29411.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(घा) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना"-

(क) "माध्यमिक शिक्षा- अन्य अनुदान"- ₹3605.75 लाख की बचत (₹10984.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) "प्रारंभिक शिक्षा- विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम"- ₹6667.03 लाख की बचत (₹218723.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(IV) Under Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Elementary Education - Other Grants – The scheme for Infrastructure Development in Minority Institutions (IDMI)" - saving of ₹1660.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4498.00 lakhs);

(B) "Secondary Education – Other Grants"-

(a) "Inclusive Education for Disabled at Secondary School (IEDSS)"- saving of ₹2307.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4173.00 lakhs);

(b) "Scheme for Construction and Running of Girls Hostels for Students of Secondary and Higher Secondary Schools" - saving of ₹4245.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹27674.00 lakhs);

(C) "Elementary Education - Teachers Training – Strengthening of Teachers Training Institutions" - saving of ₹5859.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹29411.00 lakhs);

(D) "Special Component Plan for Scheduled Castes"-

(a) "Secondary Education-Other Grants" - saving of ₹3605.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10984.00 lakhs);

(b) "Elementary Education – National Programme for Mid Day Meals in Schools" - saving of ₹6667.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹218723.00 lakhs); and

(ङ) "जनजाति क्षेत्र उप योजना- माध्यमिक शिक्षा- अन्य अनुदान"- ₹1341.61 लाख की बचत (₹5765.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(E) "Tribal Area Sub-Plan - Secondary Education-Other Grants" - saving of ₹1341.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5765.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्ताव कम संख्या में प्राप्त होने के कारण हुईं।

Savings under the above seven heads were due to receipt of less number of viable proposals from the State Governments.

(V) मुख्य शीर्ष "3602"- "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान"- बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(V) Under Major Head "3602" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" – savings occurred under the following heads:-

(का) "माध्यमिक शिक्षा- अन्य अनुदान- माध्यमिक विद्यालयों में नि:शक्त बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा"- ₹101.00 लाख की बचत (₹138.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(A) "Secondary Education - Other Grants – Inclusive Education for the Disabled at Secondary School (IEDSS)"- saving of ₹101.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹138.00 lakhs);

(खा) "प्रारंभिक शिक्षा- विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम- संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता"- ₹3599.15 लाख की बचत (₹9185.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(B) "Elementary Education- National Programme of Mid Day Meals in Schools - Assistance to Union Territory Governments" - saving of ₹3599.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9185.00 lakhs);

(गा) "प्रारंभिक शिक्षा (शिक्षक प्रशिक्षण)- शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण"- ₹495.00 लाख की बचत (₹1375.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(C) "Elementary Education (Teacher Training) – Strengthening of Teachers Training Institutions"- saving of ₹495.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1375.00 lakhs);

(घा) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना"-

(D) "Special Component Plan for Scheduled Castes"-

(क) "प्रारंभिक शिक्षा- विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम"- ₹366.22 लाख की बचत (₹2640.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(a) "Elementary Education - National Programme of Mid Day Meals in Schools"- saving of ₹366.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2640.00 lakhs);

(ख) "प्रारंभिक शिक्षा- शिक्षक प्रशिक्षण"- ₹240.00 लाख की बचत (₹410.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(b) "Elementary Education - Teachers Training" - saving of ₹240.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹410.00 lakhs); and

(ङ) "जनजाति क्षेत्र उप योजना- प्रारंभिक शिक्षा- विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम"- ₹239.20 लाख की बचत (₹1410.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्रस्ताव कम संख्या में प्राप्त होने के कारण हुईं।

(VI) छह शीर्षों के अंतर्गत ₹455.16 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक किंतु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹60488.91 लाख) प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि दिसंबर, 2012 और मार्च, 2013 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹5.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष "2202"- "माध्यमिक शिक्षा"-

(क) "गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता"-

(i) "केंद्रीय विद्यालय संगठन"- ₹4295.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि ₹4294.65 लाख था।

(ii) "नवोदय विद्यालय समिति"- ₹10930.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि ₹10929.35 लाख था।

(iii) "राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान"- ₹29568.00 लाख, वास्तविक अधिक व्यय, तथापि ₹29567.40 लाख था।

(E) "Tribal Area Sub-Plan - Elementary Education - National Programme of Mid Day Meals in Schools"- saving of ₹239.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1410.00 lakhs).

Savings under the above six heads were due to receipt of less number of proposals from Union Territory Administrations.

(VI) Under six heads savings of ₹455.16 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 14 percent to 99 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹60488.91 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹5.00 lakhs in December, 2012 and March, 2013 under the following major heads:-

(A) Major Head "2202"- "Secondary Education"-

(a) "Assistance to Non-Government Secondary Schools"-

(i) "Kendriya Vidyalaya Sangathan"- ₹4295.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹4294.65 lakhs.

(ii) "Navodaya Vidyalayas Samiti"- ₹10930.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹10929.35 lakhs.

(iii) "Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan(RMSA)" – ₹29568.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹29567.40 lakhs.

(ख) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना"-

(i) "कैंद्रीय विद्यालय संगठन"- ₹545.00 लाख।

(ii) "नवोदय विद्यालय समिति"- ₹1740.00 लाख।

(iii) "राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान"- ₹1100.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1099.39 लाख था।

(ग) "जनजाति क्षेत्र उप योजना"-

(i) "कैंद्रीय विद्यालय संगठन"- ₹470.00 लाख।

(ii) "नवोदय विद्यालय समिति"- ₹1935.00 लाख।

(iii) "राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान"- ₹5435.00 लाख, वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹5434.45 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601"- "कैंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान"-

(क) "माध्यमिक शिक्षा- अनुसंधान और प्रशिक्षण- विद्यालय में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी"- ₹4270.00 लाख।

(ख) "माध्यमिक शिक्षा- अन्य अनुदान- शिक्षा का व्यवसायिकरण"- ₹200.91 लाख।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "Kendriya Vidyalaya Sangathan" – ₹545.00 lakhs.

(ii) "Navodaya Vidyalayas Samiti"- ₹1740.00 lakhs.

(iii) "Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA)" – ₹1100.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1099.39 lakhs;

(c) "Tribal Area Sub-Plan" -

(i) "Kendriya Vidyalaya Sangathan"- ₹470.00 lakhs.

(ii) "Navodaya Vidyalayas Samiti"- ₹1935.00 lakhs.

(iii) "Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA)" – ₹5435.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹5434.45 lakhs.

(B) Major Head "3601" –"Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" -

(a) "Secondary Education – Research and Training – Information and Communication Technologies in School" – ₹4270.00 lakhs.

(b) "Secondary Education - Other Grants – Vocationalisation of Education" - ₹200.91 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2202"-

(क) "प्रारंभिक शिक्षा"-

(i) "सर्व शिक्षा अभियान- सामान्य संघटक"- ₹33566.04 लाख का अधिक व्यय (₹1569720.32 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ii) "जनजाति क्षेत्र उप योजना- सर्व शिक्षा अभियान"- ₹68297.80 लाख (₹198912.20 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ख) "माध्यमिक शिक्षा- जनजाति क्षेत्र उप योजना- राष्ट्रीय बालिका माध्यमिक शिक्षा प्रोत्साहन स्कीम"- ₹342.96 लाख का अधिक व्यय (₹1900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

अधिक व्यय उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601"- "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान"-

(क) "प्रारंभिक शिक्षा- अन्य अनुदान- मदरसों में गुणता शिक्षा उपलब्ध कराने संबंधी स्कीम"- ₹2850.25 लाख का अधिक व्यय (₹15399.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों का निपटान करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग, मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(A) Major Head "2202" –

(a) "Elementary Education" -

(i) "Sarva Shiksha Abhiyan - General Component"- excess of ₹33566.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1569720.32 lakhs);

(ii) "Tribal Area Sub-Plan - Sarva Shiksha Abhiyan"- ₹68297.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹198912.20 lakhs); and

(b) "Secondary Education – Tribal Area Sub-Plan – National Scheme for Incentive to the Girl Child for Secondary Education (SUCCESS)" – excess of ₹342.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1900.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head "3601"- "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" -

(a) "Elementary Education - Other Grants - The scheme for Providing Quality Education in Madrassas (SPQEM)" – excess of ₹2850.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15399.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards clearance of viable proposals received from the State Governments and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(ख) "प्रारंभिक शिक्षा- विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम- राज्यों को सहायता"- ₹25259.21 लाख का अधिक व्यय (₹721327.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ग) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना"-

(i) "माध्यमिक शिक्षा- अनुसंधान और प्रशिक्षण"- ₹1205.00 लाख का अधिक व्यय (₹5940.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ,

(ii) "प्रारंभिक शिक्षा- शिक्षण प्रशिक्षण"- ₹574.90 लाख का अधिक व्यय (₹8936.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(घ) "जनजाति क्षेत्र उप योजना"-

(i) "माध्यमिक शिक्षा- अनुसंधान और प्रशिक्षण"- ₹886.80 लाख का अधिक व्यय (₹2792.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ii) "प्रारंभिक शिक्षा- विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम"- ₹2604.28 लाख का अधिक व्यय (₹113162.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(iii) "प्रारंभिक शिक्षा- शिक्षक प्रशिक्षण"- ₹882.00 लाख का अधिक व्यय (₹4253.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

अधिक व्यय उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(b) "Elementary Education – National Programme of Mid Day Meals in Schools - Assistance to States" – excess of ₹25259.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹721327.00 lakhs);

(c) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "Secondary Education – Research and Training" – excess of ₹1205.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5940.00 lakhs);

(ii) "Elementary Education – Teachers Training" – excess of ₹574.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8936.00 lakhs);

(d) "Tribal Area Sub-Plan" –

(i) "Secondary Education – Research and Training" – excess of ₹886.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2792.00 lakhs);

(ii) "Elementary Education – National Programme for Mid Day Meals in Schools" – excess of ₹2604.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹113162.00 lakhs); and

(iii) "Elementary Education - Teachers Training"- excess of ₹882.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4253.00 lakhs).

Excess under the above six heads was due to reappropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹89.00 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो स्वीकृत प्रावधान का 247 प्रतिशत था।

(III) Under one head excess of ₹89.00 lakhs occurred constituting 247 percent of the sanctioned provision.

3. प्रारंभिक शिक्षा कोष:-

प्रारंभिक शिक्षा को व्यापक बनाने संबंधी कार्यक्रम के संबंध में धनराशि की व्यवस्था करने के लिए उपलब्ध योजना संसाधनों और अनुमानित आवश्यकता के बीच का अंतर समाप्त करने के लिए, वित्त (सं.2) अधिनियम, 2004 के अंतर्गत निगम कर, निगम कर से भिन्न आय पर कर, अनुषंगी हितलाभ कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर पर 2% की दर पर शिक्षा उपकर लगाया गया।

नवम्बर, 2005 में, भारत के लोक लेखे में तत्कालिक प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा कोष नामक एक व्यपगत न होने वाली निधि का गठन किया गया।

शिक्षा उपकर से होने वाली समस्त आय "सर्व शिक्षा अभियान" और "मध्याह्न भोजन संबंधी स्कीम" पर व्यय किए जाने के लिए इस प्रारंभिक शिक्षा कोष में जमा की जाएगी। किसी भी वित्तीय वर्ष में इन स्कीमों पर किए जाने वाले व्यय को शुरू में सकल बजटीय सहायता वहन किया जाएगा। इन स्कीमों पर योजना आबंटन संघटक और व्यय का वित्तपोषण सकल बजटीय सहायता के समाप्त होने के बाद ही प्रारंभिक शिक्षा कोष से उपलब्ध कराया जाएगा।

2% शिक्षा उपकर की अनुमानित प्राप्ति की तुलना में प्रारंभिक शिक्षा कोष को प्रारंभिक अंतरण के लिए संघ बजट 2012-13 में ₹21670.00 करोड़ का प्रावधान किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन संबंधी स्कीमों पर किए गए व्यय के संबंध में प्रारंभिक शिक्षा कोष से प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि के लिए बजट अनुमान 2012-13 में समान राशि उपलब्ध कराई गई थी।

3. Prarambhik Shiksha Kosh:-

In order to bridge the gap between available plan resources and estimated requirement to finance the programme for universalisation of elementary education, the Finance (no.2) Act, 2004 levied an Education Cess @2% on Corporation Tax, Taxes on Income other than Corporation Tax Fringe Benefit Tax, Excise Duty, Custom Duty and Service Tax.

A non-lapsable funds called Prarambhik Shiksha Kosh was created in the Public Accounts of India under the erstwhile Department of Elementary Education and Literacy in November, 2005.

All proceeds of Education Cess is to be credited in to this Prarambhik Shiksha Kosh for being spent on the schemes " Sarva Shiksha Abhiyan' and "Mid-Day Meal Scheme". Expenditure incurred on these schemes, in the any financial year, shall initially be incurred from Gross Budgetary Support (GBS). Component of Plan allocation and the expenditure on these schemes will be financed from Prarambhik Shiksha Kosh only after GBS is exhausted.

A provision of ₹21670.00 crores was made in the Union Budget 2012-13 for initial transfer to the Prarambhik Shiksha Kosh against estimated receipt of 2% Education Cess. Identical amount was provided in B.E. 2012-13 for amount to be recouped from Prarambhik Shiksha Kosh in respect of expenditure incurred on the schemes relating to Sarva Shiksha Abhiyan and Mid Day Meal.

वर्ष 2012-13 से संबंधित निधि का लेखा इस प्रकार था:-

The Account of the Fund for the year 2012-13 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथ शेष	Opening Balance	364,54,63
प्राप्तियां	Receipts	20667,34,00
अदायगियां	Payments	20137,47,00
अंत शेष	Closing Balance	894,41,63